न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 07/2019 G.C.M.S. No. 2019/00254 दर्ज दिनांक : 12.06.2019

अपीलार्थी:

1. सोनाराम पुत्र कालाराम, जाति गमेती आयु वयस्क, पेशा खेती निवासी उडवारिया, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मालमसिंह पुत्र पाबुदानसिंह, आयु वयस्क
2. अर्जुनसिंह पुत्र पाबुदानसिंह, आयु वयस्क
3. भवानीसिंह पुत्र पाबुदानसिंह, आयु वयस्क
4. मोहनीकुंवर पुत्री पाबुदानसिंह, आयु वयस्क
5. सुजादेवी पत्नि पाबुदानसिंह, आयु वयस्क
6. दलपतसिंह पुत्र समुद्रसिंह, आयु वयस्क
7. खुश्बुकुंवर पुत्री समुद्रसिंह, आयु वयस्क
8. नरेन्द्रसिंह पुत्री रतनकुंवर, आयु वयस्क
9. वेदान्तसिंह पुत्र रतनकुंवर, आयु वयस्क
10. पूजाकुंवर पुत्री रतनकुंवर, आयु वयस्क
11. मनीषाकुंवर पुत्री रतनकुंवर आयु वयस्क, समस्त जातियान राजपूत, निवासीयान एरिनपुरा हाल पातुम्बरी तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2017 बअनवान सोनाराम बनाम मालमसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019

पैरोकार–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 10.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2017 बअनवान सोनाराम बनाम मालमसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट/वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसे न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 के पक्ष में वारिसान की नामान्तरकरण होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादी का वाद खारीज करने में भारी भूल की हैं। खसरा सख्या 141 की 17 बीघा भूमि मौके पर गैर खातेदारी दर्ज है। लेकिन न तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 का मौके पर कब्जा है। कब्जा अपीलाण्ट व अन्य जयसिंह पुत्र लक्ष्मणदानजी, शकंरदान पुत्र तखतदानजी का कब्जा है। मौके पर गैर खातेदारी भूमि के विरुद्ध अपीलाण्ट का दावा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का परिपोषणीय है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय गलत रुप से दावा खारीज करने में भारी कानूनी भूल की हैं। अपीलाण्ट के दावे बाबत अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि मौका रिपोर्ट मंगवाते व वास्तविक स्थिति का पता करते साथ ही नदी में जमीन करने के तथ्य की भी जानकारी लेते हुए वास्तविक रुप से दावे को जरिए साक्ष्य व दस्तावेजी सबूत के तय करते, लेकिन ऐसा नहीं कर वाद को खारिज करने में गलती की हैं। मात्र गिरदावरी व नामान्तरकरण दस्तावेज को Fisical Entery माना जाता है इस तथ्य को न्यायालय को ध्यान रखना चाहिये। गैरखातेदार का कब्जा नहीं बाबत ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी पत्रावली पर था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय तथ्यो के विपरीत अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में भारी भूल की है। प्रत्येक एडवर्स पजेशन की प्रकृति अलग–अलग होती है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय RRT 2011-12 (Supp.) 401 वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत पारित अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी द्वारा प्रतिवादीगण को आवंटित व गैर खातेदारी में दर्ज वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी की मांग करने तथा ऐसे खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते, के आधार पर वादपत्र खारिज किया गया।
3. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के अंतर्गत वादपत्र में अंकित कथनों का अवलोकन अपेक्षित होता है। वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वादी द्वारा यह अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी करीब 40 वर्षों से कब्जाकाश्त होने से खातेदारी अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्राप्त करने का अधिकारी है। पैरा संख्या 3 में अंकित किया है कि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 141 की कृषि भूमि 17 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। जो पूर्व में पाबूदान पुत्र गणेशसिंह के नाम दर्ज थीं। अतः स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है।

4. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा **2011-12 (Supp.) RRT 401** में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा हेतु वाद– प्रतिवादी ने सहमत जवाबदावा पेश किया– वाद खारिज किया। भूमि एम की गैर खातेदारी में दर्ज है और एम को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं हुए। वाद सही खारिज किया। उक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है, जिन्हें अभी तक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि प्रतिवादीगण स्वयं खातेदार न होकर गैर खातेदार है।

5. यह भी कानूनन स्वीकृत स्थिति है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजित होने या ऐसे अधिकारों की घोषणा किए जाने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं हैं। फलस्वरूप ऐसे प्रकरणों में प्रतिकूल धारण के आधार पर वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध न तो वाद अधिकार प्राप्त होता है एवं न ही वादकारण उत्पन्न होता है एवं न ही किसी भी विधि द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। अतः ऐसे वादपत्र आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत काबिल खारिज होते हैं एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज करने में कानूनन कोई भूल नहीं की हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2017 बअनवान सोनाराम बनाम मालमसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
सोजत

प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली